

**Samar Goel**

---

**From:** Samar Goel [samar.goel@consam.in]  
**Sent:** Thursday, February 03, 2011 11:11 PM  
**To:** 'chac-executives@consam.in'  
**Subject:** ई-मेल की व्यक्तिगतता के संबंध में!

जैसा मैंने पहले भी बताया है की प्रबंधन को मजबूत रखने के लिए यह आवश्यक है की बात – चित में कोई हिचकिचाहट न रहे! काम करने के क्रम में अवश्य ही कठिनाई आती है और कठिनाई आने का यह मतलब नहीं की काम में गड़बड़ी हो या काम न हो!

ऐसी स्थिति भी होती है जब मैसेज/चिट्ठी/ई-मेल को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता है! इस तथ्य के मद्देनजर आप सभी मेरे इस गैर – अधिसूचित आदेश के द्वारा अपने जुनियर, सहकर्मी एवं वरिष्ठ कर्मचारियों को निजी ई-मेल करने के लिए अधिकृत होते हैं!

- अगर कोई भी अपने इ-मेल में PRIVATE/निजी लिख किसी को भी भेजता है इस स्थिति में प्रेषक के अनुमति के बगैर ई-मेल को सार्वजनिक करना गैरकानूनी (violation of CONSAM Constitution) होगा!
- मेरे इस ई-मेल को सेव कर लें और आवश्यकता पड़ी तब मुझे यह CONSAM Constitution में नियोजित करने के लिए आवेदन दिया जा सकता है!
- अगर मेरा यह आदेश चुनौती देने युक्त प्रतीत होता है तब यह एक नियम होने से पहले आपको अधिकार है की मुझे आवगत कराया जाये!

सधन्यवाद!

---

**SAMAR GOEL**

[www.consam.in](http://www.consam.in)